कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं0–05944–240071

पत्रांकः न–3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2021 दिनांक दिसम्बर 21, 2021

स्वामी/प्रबन्धक
मै0 कैम्पस स्कूल मार्केट,
जी0वी0पन्त यूनिवर्सिटी
पन्तनगर, ऊधम सिंह नगर।

विषय :– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0–48372280 दिनांक 09–12–2021 के अनुसार मै0 कैम्पस स्कूल मार्केट जी0वी0पन्त यूनिवर्सिटी पन्तनगर ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पन्तनगर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पन्तनगर की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि 90 दिवस के भीतर संस्थान में प्रत्येक ब्लॉक के टैरेस पर 10 हजार ली0 क्षमता का टैरेस टैंक, 450 ली0प्रतिमिनट क्षमता का टैरेस पम्प, प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येकतल पर मानकानुसार हॉजरील्स का प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतःही निरस्त समझा जाएगा, साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। **संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 वर्ष में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।**

अतः मै0 कैम्पस स्कूल मार्केट जी0वी0पन्त यूनिवर्सिटी पन्तनगर ऊधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 21 दिसम्बर 2021 से 20 दिसम्बर 2024 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
6. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।

TRUE COPY
ATTESTED

Dr. B.C. Pathak
Principal Campus School
Pantnagar-263145
Distt U.S Nagar (U.K.)

Dr. Rajesh Kumar
President
Campus School Management Committee

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)
ऊधम सिंह नगर